नीति निर्धारण या क्रियान्वयन में जनप्रतिनिनिधियों के परामर्श की व्यवस्था

शासन की प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत सामाजिक न्याय संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अन्तर्गत स्थापित पंचायतराज संस्थाओं की स्थापना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण आदि का उत्तरदायित्व पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग को सौंपी गई है। पंचायत संबंधी कर्तव्यों के अन्तर्गत जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत सतर की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु त्रि–स्तरीय पंचायतराज संस्थाओं का निरीक्षण, नर्यवेक्षण तथा नियंत्रण इस विभाग के अधीन है। इसी प्रकार सामाजिक न्याय सेक्टर में समाज के वंचित, असहाय वृद्ध, निःशक्त, विभाग की विशिष्ट सेवाऐं उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। इन योजनाओं के अन्तर्गत निःशक्त कल्याण, अपचारी तथा उपेक्षित बच्चों के लिए सुधारात्मक सेवाऐं, वृद्धों तथा असहाय व्यक्तियों के लिए सामाजिक सहायता कार्यक्रिम नशामुक्ति तथा ग्रामीणों के लिए दूरदर्शन कार्यक्रम।

उक्त योजनाओं के संबंध में नीति निर्धारण करने हेतु विभिन्न स्तर पर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सलाहकार समिति, मण्डल गठित किए गए है। योजनाओं के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों के परामर्श की पूर्ण व्यवस्था इस समिति के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर की पंचायतों में जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए विभिन्न विषयों से संबंधित स्थाई समिति के गठन का प्रावधान पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में किया गया है। विभिन्न समितियां तथा मण्डलों का वितृत विवरण आगामी अध्याय–8 में वर्णित है।

अध्याय – आठ

योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जन प्रतिनिधियों से परामर्श की व्यवस्था सलाहकार समितियों / बोर्ड का गठन

1–क– सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कतिपय विशिष्ठ सेवाऐं उपलब्ध कराना, इस क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को बढावा देने और सामाजिक न्याय योजनाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अलग–अलग योजनाओं के लिए पृथक पृथक राज्य, जिला तथा खण्ड स्तरीय सलाहकार समितियों का गठन किया गया है जिनमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। योजना सलाहकार समियियातियाँ / बोर्ड का विवरण निम्नानुसार है :–

1– **निःशक्त कल्याण** :– सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ–19–104/2000/1/4 दिनांक 17.7.2000 द्वारा परिवार से उपेक्षित निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक विकास एवं पुनर्वास में प्रोत्साहित करने तथा राज्य की कार्य योजना की समीक्षा करने के लिए राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया हैं समिति का विवरण संलग्न है।

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल 462004

आदेश

भोपाल दिनांक 17.7.2000

क्रमांक/एफ–19–104/2000/1/4 राज्य शासन परिवार से उपेक्षित व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक विकास एवं पुनर्वास में प्रोत्साहित करने से राज्य की कार्य योजना की समीक्षा किये जाने के लिये निम्नुानसार परामर्शदात्री समित का गठन करता है –

1.	माननीय मंत्री/राज्यमंत्री जी समाज कल्याण विभाग	अध्यक्ष
2.	डॉ. एम.सी. नाहटा	सदस्य
3.	श्री रामचन्द्र भार्गव	सदस्य
4.	श्री जी.जी. गांगुली	सदस्य
5.	सुश्री कान्ता बेन त्यागी	सदस्य

6.	अध्यक्ष, म.प्र. पेंशनर्स एसोसिएशन, भोपाल	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन विभाग	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	सदस्य
12.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	सदस्य
13.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	सदस्य
14.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनशक्ति नियोजन विभाग	सदस्य
15.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
16.	आयुक्त, पंचायत एवं समाज सेवा	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(..........................)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल

पृ.क./एफ 19–104/2000/1/4 भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2000

प्रतिलिपि :

1. समस्त संबंधित सदस्यगण
2. आयुक्त, पंचायत एवं समाज सेवा, म.प्र., भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(पी.सी. सूर्य)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

2— समाज कल्याण विभाग के आदेश दिनांक 19.12.1997 से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के उद्देश्यों के अनुरुप निःशक्त जन के सर्वेक्षण से प्रापत तथ्यों की सतत समीक्षा, परामर्श, मार्गदर्शन एवं अन्तर्विभागीय समन्वय करने के लिए राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया गा हैं उक्त समिति का विवरण संलग्न है।

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल 462004

आदेश

भोपाल दिनांक 19 दिसम्बर 1997

क्रमांक/एम–19–156/.. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारी का संरक्षण कार्य पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के उद्‌दश्यों के अनुरूप राज्य में 28 जनवरी 97 को कराये गये एक दिवसीय निःशक्तजनों के सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों के आधार पर राज्य के समस्त निःशक्तजनों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु 2 अक्टूबर 1997 से प्रारंभ किये जा रहे राज्य व्यापी विशेष अभियान की सतत समीक्षा परामर्श मार्गदर्शन एवं अन्तविर्भागीय समन्वय करने के लिए राज्य सतरीय समिति गठित की जाती है। यह समिति निम्नानुसार होगी –

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	सचिव समाज कल्याण	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, जनशक्ति नियोजन सदस्य	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, अनुसूचित जनजाति	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, स्थानीय शासन	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
9.	प्रमखु सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
10.	सचिव, महिला एवं बाल विकास	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग	सदस्य
12.	प्रमुख सचिव, उद्योग	सदस्य
13.	प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा	सदस्य
14.	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा	सदस्य
15.	आयुक्त पंचायत एवं समाज सेवा	सदस्य
16.	सचिव, रेडक्रास सोसायटी	सदस्य
17.	यूनीसेफ भोपाल के प्रतिलिपि	सदस्य

यह समिति प्रतिमाह बैठक आयोजित कर इस अभियान की समीक्षा करेगी। सर्वथा उपरानत कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

तथा आदेशानुसार

पृ.क्र. / 17—196 / 97 / 1 /　　　　　　　　　　　　भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर, 1997

प्रतिलिपि :

1. समिति के अध्यक्ष / सदस्यगण व सचिव
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग
3. आयुक्त पंचायत एवं समाज में म.प्र. भोपाल
4. संचालक जन संपर्क मध्यप्रदेश भोपाल
5. समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक पंचायत एवं समाज सेवा मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

3— सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 19—94—1997—1—4 दिनांक 15.5.1997 से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर एवं अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 19 के अनतर्गत राजय स्तरीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है जिसका विवरण संलग्न है।

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल 462004

आदेश

भोपाल दिनांक 15 मई, 1997

क्रमांक/19—94/1997/1/4 राज्य शासन निःशुल्क व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एंव पूर्ण भागीदारी) अधिनियम—1995 की धारा—19 को .....2 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य नगरीय कार्यकारिणी समिति का निम्नानुसार गठन करता है—

सचिव, समाज कल्याण विभाग	पदेन अध्यक्ष
सिस्टर नोएला,	सदस्य
आशा निकेतन, भोपाल	
डॉ. डी.सी. चौधरी	सदस्य
मंगलम संस्था, शिवपुरी म.प्र.	
डॉ. आर.एच. बालचंदानी,	सदस्य
विकलांग सेवा संस्था, जबलपुर म.प्र.	
श्री एस.डी. गजभिये	सदस्य
(अनुसूचित जाति) दृष्टिहीन कल्याण संघ,	
भोपाल म.प्र.	
श्रीमती कलावती किलाडे.,	सदस्य
कांता विकलांग सेवा ट्रस्ट, ग्राम पोस्ट, पोस्ट निवाली,	

जिला खरगौन, म.प्र.	
विकलांगता के लिए नियुक्त आयुक्त,	सदस्य
पंचायत एवं समाज सेवा, म.प्र.	
निम्नलिखित विभागों के अपर / उप सचिव स्तर के अधिकारी	
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	पदेन सदस्य
वित्त विभाग	
ग्रामीण विकास विभाग	
स्कूल शिक्षा विभाग	

4— समाज कलयाण विभाग के आदेश क्रमांक एफ—3—193 / 99 / 26—2 दिनांक 6.11.1999 द्वारा निःशक्त जनों के सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों के आधार पर निःशक्तजनों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया हैं जिसका विवरण भी संलग्न है।

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल 462004

आदेश

भोपाल दिनांक 06 नवम्बर, 1999

क्रमांक/एफ–3–193/99/26–2 राज्य शासन निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अंतर्गत इस विभाग के आदेश क्रमांक डी/2086/26–2/311, दिनांक 19.9.97 द्वारा गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में निम्नुनसार संशोधन किया जाता है–

1.	जिला कलेक्टर/जिला मजिस्टेट/डिप्टी कमिश्नर	अध्यक्ष
2.	उप संचालक, समाज कल्याण	पदेन सदस्य सचिव
3.	जिला चिकत्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
4.	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5.	परियोजना अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
6.	जिला रोजगार अधिकारी	सदस्य
7.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित स्वैच्छिक संस्थाओं के अशासकीय सदस्य प्रतिनिधि के रूप में जो विभिन्न प्रकार की निशक्तताओं के हों, दृष्टिबाधित, कुष्ठरोग मुक्त, श्रवणबाधित, अस्थिबाधित, मानसिक मंदता	सदस्य
8.	जिला पंचायत प्रतिनिधि	सदस्य
9.	नगर निगम प्रतिनिधि	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/–
(सुनील कुमार)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन , समाज कल्याण विभाग

ख– **सुधारात्मक सेवाऐं** :– राज्य सरकार द्वारा अपचारी एवं उपेक्षित बच्चों की देखरेख, शिक्षण–प्रशिक्षण तथा पुनर्वास हेतु किशोर न्याय अधिनियम प्रभावशील किया गया है। इस अधिनियम के सुचारु रुप से क्रियान्वयन तथा योजना के सफल संचालन हेतु (1) राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। जिसका विवरण संलग्न है। (2) इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–3–24–96–26–2 दिनांक 7.3.2000 से निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 के नियम 1999 की धारा 15 के अन्तर्गत अधिनियम के सफल क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण हेतु राज्य स्तरीय सलाहकार समितियों का गठन किया गया हैं जिसका विवरण भी संलग्न है।

ग– **सामाजिक सहायता** :– राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा भारत सरकार की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंयशन योजना को एकीकृत करते हुए एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इसी प्रकार राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति के परिवार के कमाउँ व्यक्ति की मृत्यु होने पर एक मुश्त सहायता देने की योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विभिन्न सलाहकार समितियों का गठन किया गया है जो निम्नानुसार है :–

(1) समाज कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/59/95/26–2 दिनांक 30.5.1996 द्वारा राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसका विवरण संलग्न है।

(2) इसी प्रकार इन सभी योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं समन्वय हेतु जिला स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है। जिसका विवरण संलग्न है। (3) इस योजना के अन्तर्गत अपात्र हितग्राहियों की पेंशन की जांच करना, पेंशन निरस्त करने आदि के संबंध में अनुविभाग स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है जिसका विवरण संलग्न है।

मध्यप्रदेश शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

भोपाल, दिनांक 30 मई, 1996

क्रमांक एफ 1/59/95/26–2, राज्य शासन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के अर्द्ध–शासकीय पत्र क्रमांक–पी 18020/20/95/26–2, राज्य शासन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के अर्द्ध–शासकीय पत्र क्रमांक–पी, 18020/1/95–एन.एस.ए.पी, दिनांक 14.8.95 में दी गई गाइड लाईन्स की कंडिका 13–4 के अनुसार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में एतद् द्वारा निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति का गठन करता है –

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कलण	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, लो.स्वा.एवं परिवार कल्याण	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, स्थानीय शासन	सदस्य
7.	भारत सरकार शहरी मामलों एवं रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	भारत सरकार, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	श्रीमती चंन्द्रप्रभा पटैरिया, अध्यक्ष, अखिल भारतीय महिला परिष्द, राइट टाउन, जबलपुर (म.प्र.)	सदस्य
10.	कु. गोईन्दी, सचिवय, कस्तूरबा गांधी नेशनल ट्रस्अ कस्तूरबा ग्राम, इंदौर म.प्र.	सदस्य
11.	संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा	सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश के राजयपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता/–

(एस.डी. अग्रवाल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग

पृ.क. एफ 1/59/95/26–2 भोपाल, दिनांक 30 मई, 1996

प्रतिलिपि –

1. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर
2. प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन वित्त/समाज कल्याण/लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण पंचायत एवं ग्रामीण विकास/स्थानीय शासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
3. सचिव, भारत सरकार, शहरी मामलों एवं रोजगार मंत्रलायय, नई दिल्ली, की ओर, निवेदन है कि कृपया अपना प्रतिनिधि नामांकित करने का कष्ट करें।
4. सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर, निवेदन है कि कृपया अपना प्रतिनिधि नामांकित करने का कष्ट करें।
5. श्रीमती चन्द्रप्रभा पटैरिया, अध्यक्ष, अखिल भारतीय महिला परिषद्, राइट टाउन, जबलपुर (म.प्र.)
6. कु. गोईन्दी, सचिव, कस्तूरबा गांधी नेशनल ट्रस्ट, कस्तूरबा ग्राम, इंदौर म.प्र.
7. संचालक, पंचायत एंव समाज सेवा, म.प्र. भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रेषित

हस्ता/–

(एस.डी. अग्रवाल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

समाज कल्याण विभाग

(9) जिला स्तरीय सामाजिक सहायता समिति का गठन

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत आने वाली सभी योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं समन्वय निम्नांकित जिला स्तरीय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता द्वारा किया जायेगा –

1.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	अध्यक्ष
2.	जिले के समस्त सांसद	सदस्य
3.	जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित एक तिहाई विधायकगण	सदस्य
4.	जिले की चार जनपद पंचायतों के अध्यक्ष	सदस्य
5.	नगर निगम के महापौर	सदस्य
6.	एक–एक नगर पालिका/नगर पंचायत के अध्यक्ष	सदस्य
7.	एक–एक नगर पालिका/नगर पंचायत के अध्यक्ष	सदस्य
8.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य
9.	उप–संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा	सदस्य/सचिव

टीप :– 1. विधायक गणों का नामांकन प्रतिवर्ष्झ किया जावेगा।

2. जनपद पंचायततों के अध्यक्षों का नामांकन जनपद पंचायत के हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों के अनुक्रम में अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा किया जावेगा।

   यदि किसी जिले में जनपद पंचायतों की संख्या 4 से कम है तो समस्त जनपद पंचायतों के अध्यक्ष समिति के सदस्य होंगे।

3. नगर पालिका/नगर पंचायतों के अध्यक्षों का नामांकन नगर पालिका/नगर पंचायत के हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों के अनुक्रम में अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा।

यह समिति राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना/एकीकृत वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कियान्वयन की मासीक समीक्षा करेगी। समिति के सदस्य सचिव समीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति नियमित की एक प्रति रूप से संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा को प्रेषित करेंगे।

सकेंगे। इसी प्रकार से यदि यह पाया जाता है कि अपात्र व्यक्ति को सहायता स्वीकृत की गई है तो वे स्वीकृति आदेश भी निरस्त कर सकेंगे।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी को अभ्यावेदन के अतिरिक्त, प्रकरणों की सेम्पल (रेण्डम) के आधार पर अन्यथा आवश्यकता होने पर निमनंकित समिति द्वारा भी जांच की जा सकेगी।

1.	अनुविभागीय अधिकारी	अध्यक्ष
2.	उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा अथवा उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति	सदस्य
3.	ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में संबंधित जनपद पंचायत के एक प्रतिनिधि व शहरी क्षेत्र की स्थिति में संबंधित नगरीय निकाय के एक प्रतिनिधि	सदस्य

यह समिति स्वयमेव भी स्वीकृत परिवार सहायता प्रकरणों का परीक्षण कर उन पर यथा योग्य आदेश पारित कर सकेगी।

2. संबंधित जनपद पंचायत/स्थानीय निकाय उपरोक्तानुसार उक्त कंडिका 1 (क) एवं (ख) की जांच में अपात्र पाये गये व्यक्ति को भुगतान की जा चुकी सहायता राशि की वसूली की कार्यवाही भी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 545 भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 1999—श्रावरण 1, शक 1921

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 1999

क्र. एफ 4—44—99—छब्बीस—2. — राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 53) की धारा के अधीन यथापेक्षित सलाहकार बोर्ड का निम्नानुसार गठन किया जाता है :—

1.	मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, समाज कल्याण	अध्यक्ष
2.	सचिव, म.प्र. शासन, समाज कल्याण	सदस्य
3.	सचिव, म.प्र. शासन, शिक्षा विभाग	सदस्य
4.	सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
5.	सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग	सदस्य
6.	सचिव, म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य	सदस्य
7.	सचिव, म.प्र. शासन, श्रम विभाग	सदस्य
8.	सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा विभग	सदस्य
9.	सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग	सदस्य
10.	सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग	सदस्य
11.	श्री विश्वनाथ दुबे, उद्योगपति, जबलपुर	सदस्य
12.	श्री महेन्द्र भटनागर, एडवोकेट उज्जैन	सदस्य
13.	श्री मनु कुलकर्णी, भोपाल	सदस्य
14.	श्री व्ही.पी. साहनी, भोपाल	सदस्य
15.	श्री रमेश नैय्यर, पत्रकार, रायपुर	सदस्य
16.	संचालक/आयुक्त, पंचायत एवं समाज सेवा, भोपाल	सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

सुनील कुमार, सचिव

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2000

क्र. एफ 3–24–98–छब्बीस–2. – राज्य सरकार एवं निर्धन व्यक्तियों की सहातया अधिनियम 1970 के नियम, 1999 की धारा 15 के अंतर्गत निम्नानुसार राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन करता है–

1.	मंत्री, समाज कल्याण	अध्यक्ष
2.	सचिव, समाज कल्याण	सदस्य
3.	सचिव, वित्त	सदस्य
4.	संचालक मण्डी (कृषि)	सदस्य
5.	संचालक, स्वास्थ्य	सदस्य
6.	आयुक्त/संचालक, समाज कल्याण	सदस्य
7.	श्रीमती शीला बघेल, ग्राम व पोस्ट खैरलांजी, तहसील बारासिवनी, जिला बालाघाट म.प्र.	सदस्य
8.	श्री सुखनन्द मालवीय, ग्राम डोहलन पो. बिहरगांव तहसील मुलताई जिला बैतूल	सदस्य
9.	श्री भाऊ साहब खोब्रागढ़े 124, ई.डब्ल्यू.एस. पदमनापुर, जिला दुर्ग	सदस्य
10.	श्री जिया अहमद राज, अध्यक्ष, जिला वक्फ बोर्ड, महारीर स्टीट, सतना	सदस्य
11.	श्रीमती नीमादेवी बागरे, बड़ी जारद, जबलपुर नाका, सिवनी जिला सिवनी (म.प्र.)	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
आर.पी. जैन, उप सचिव

घ— **मद्यनिषेध योजना** :— शराब, मादक पदार्थो एवं द्रव्यों के सेवन की बढती हुई प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए तथा स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर नशाबंदी मण्डल का गठन किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है।

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 689 भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 अक्टूबर 1999—आश्विन 20, शक 1921

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 1999

क्र. ए. 3—119—99—99—छब्बीस—2—राज्य में नशाबंदी को प्रोत्साहित करने के लिये एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है, जो नशाबंदी के पक्ष में जनमत तैयार कर सके और उसे क्रियात्मक मोड़ दे सके। अतः राज्य सरकार, मान. मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में निम्नानुसार राज्य स्तर पर नशाबंदी मण्डल का पुनर्गठन करता है —

1.	मान. मुख्य मंत्रीजी	अध्यक्ष
2.	मान. राज्य मंत्रीजी समाज कल्याण	उपाध्यक्ष
3.	मान. मंत्रीजी वाणिज्यिक कर	सदस्य
4.	मान. मंत्रीजी आदिम जाति कल्याण	सदस्य
5.	मान. मंजीजी महिला एवं बाल विकास	सदस्य
6.	विधान सभा सदस्य (3)	सदस्य
6.	1. मान. विधायिका डॉ. कल्पना पारूलकर	सदस्य
6.	2. मान. विधायिका श्रीमती सविता दीवान शर्मा	सदस्य
6.	3. मान. विधायिका श्रीमती श्यामा धुर्वे	सदस्य
7.	मध्यप्रदेश समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष	सदस्य
8.	महानिदेश पुलिस	सदस्य
9.	आबकारी आयुक्त	सदस्य
10.	सचिव, समाज कल्याण	सदस्य

11.	आयुक्त, जनसम्पर्क	सदस्य
12.	आयुक्त, पंचायत एवं समाज सेवा	सदस्य
13.	मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक के प्रतिनिधि (3)	सदस्य
13.	1. श्रीरामचन्द्र भार्गव	सदस्य
13.	2. सुश्री राधा बेन भट्टा	सदस्य
13.	3. श्री पी.व्ही. राजगोपाल	सदस्य

2. राज्यस्तरीय नशाबंदी मण्डल के कृत्य निम्नानुसार है –

2.1 नशाबंदी से संबंधित सभी विषयों के बारे में शासन को सलाह देना।

2.2 नशाबंदी के पक्ष में जनमत तैयार करना और क्रियात्मक दृष्टि से उसे संगठित करना।

2.3 नशे के स्थान पर मनोरंजन के अन्य साधनों के प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देना।

2.4 नीरा एवं दूध के समान पोषक तथा नशे से मुक्त पेयों को प्रोत्साहन देना।

2.5 स्वयं सेवी संस्थाओं एवं स्थानीय प्राधिकरणों को सक्रिय सहयोग के लिये प्रेरणा देना और आवश्यकतानुसार शासन से सहायता के लिये सिफारिश करना।

3. राज्य स्तरीय नशाबंदी मण्डल का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

4. राज्य स्तरीय नशाबंदी मण्डल की बैठक सामान्यतः वर्ष में दो बार अध्यक्ष द्वारा नियत की गई तिथि तथा समय में होगी। अध्यक्ष कम से कम एक तिहाई सदस्यों के आवेदन–पत्र या स्वयं अपनी इच्छा से मण्डल की बैठक किसी भी समय बुला सकेंगे।

5. उपाध्यक्ष, अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। यदि किसी कारणवश अध्यक्ष अनुपस्थिति हो तो उपाध्यक्ष करेंगे और करते समय अध्यक्ष के समय कर्तव्य तथा शक्तियों का प्रयोग करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

आर..पी. जैन, उपसचिव